न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

विभाजन वाद–42 / 2013

सुधीर सिंह.....वादी

बनाम

मो0 रेशमा देवी वगैरहकृ.....प्रतिवादीगण

आदेश

28.05.25 अभिलेख आज वादी की ओर से दिवानी प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10'2' तथा आदेश 22 नियम 4 के अंतर्गत दाखिल दो आवेदन दिनांक–26.04.2024 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण के द्वारा उपरोक्त दोनों आवेदनों पर अनापत्ति दर्ज की गई है।

अपने पहले आवेदन में वादी ने निवेदन किया है कि वर्तमान वाद मद सं0–1 की भूमि के विभाजन हेतु लाया है जिसमें बदौरान मुकदमा प्रतिवादी सं0–3 संजीत सिंह एवं प्रतिवादी सं0–4 मो0 कविता सिंह, ने विवादित भूमि का बहुत–सा विकयविलेख निष्पादित कर दिया है तथा आगे भी जमीन बेचने हेतु प्रयासरत हैं जिनको वर्तमान वाद में पक्षकार बनाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। कथित खरीददार वादपत्र के विवादित भूमि, मद सं0–1 अर्जीदावी पर वादी के शांतिपूर्ण दखल–कब्जा में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में उनका पक्षकार बनया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि आवेदनांकित व्यक्तियॉ जो वर्तमान वाद के विवादित भूमि के खरीददार हैं, उन्हें प्रतिवादी खाने में सम्मिलित करने का आदेश पारित करने की कृपा की जाए।

अपने दूसरे आवेदन में वादी ने निवेदन किया है कि वर्तमान वाद के प्रतिवादी सं0–9 सुनैना देवी की मृत्यु दिनांक–31.10.2023 को हो गई है जिन्होंने अपने पीछे अपने पति महेश सिंह एवं चार पुत्र कमशः सतीश सिंह, विजय प्रताप सिंह, अजय प्रताप सिंह एवं धनंजय कुमार सिंह तथा एक पुत्री रेणु देवी को छोड़कर स्वर्गवासी हुए तथा प्रतिवादी सं0–25 मो0 भागवती देवी दिनांक–06.02.2023 को अपने जायज वारिसानों को छोड़कर स्वर्गवासी हो गई जिनके वारिसान पूर्व से वर्तमान वाद में पक्षकार हैं। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं0–9 सनैना देवी का नाम विलोपित कर उनके स्थान पर जो उनके जीवित उत्तराधिकारीगण हैं, का नाम वादपत्र में प्रतिस्थापित होना आवश्यक है तथा प्रतिवादी सं0–25 मो0 भागवती देवी का नाम वादपत्र से विलोपित किया जाना आवश्यक है, चूँकि इनके जायज वारिसान पूर्व से वाद में पक्षकर हैं। वादी का आवेदन सत्यापित एवं शपथ–पत्र से सम्पुष्ट है। अतः निवेदन है कि वादपत्र से प्रतिवादी सं0–9 सुनैना देवी का नाम विलोपित कर उनके स्थान पर उनके आवेदनांकित जायज वारिसानों का नाम वादपत्र में प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाए तथा प्रतिवादी सं0–25 का नाम वादपत्र से विलोपित करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद वादी साक्ष्य हेतु लंबित है तथा प्रतिवादी सं0–9 सुनैना देवी आवश्यक पक्षकार हैं जिनके विधिक उत्तराधिकारीगण की उपस्थिति वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन हेतु अवश्यक प्रतीत होता है तथा प्रतिवादी सं0–25 मो0 भागवती देवी का नाम वादपत्र से विलोपित किया जाना भी आवश्यक प्रतीत होता है, चूँकि इनके जायज वारिसान पूर्व से पक्षकार हैं। वादी का दोनों आवेदन शपथ–पत्र से समर्थित एवं समय–सीमा के अंतर्गत दाखिल है तथा प्रतिवादीगण की ओर से उपरोक्त दोनों आवेदनों के संदर्भ में अनापत्ति दर्ज है। अतः वादी का उपरोक्त दोनों आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। **कार्यालय आवेदनांकित मृत प्रतिवादी सं0–9 का नाम वादपत्र से विलोपति कर उनके स्थान पर उनके जीवित विधिक उत्तराधिकारियों का नाम पता सहित प्रतिस्थापित करें तथा मृत प्रतिवादी सं0–25 का नाम वादपत्र से विलोपित करें तथा आदेश 1 नियम 10'2' में आवेदनांकित खरीददार का नाम प्रतिवादी खाने में जोड़ें। वादी प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की उपस्थिति एवं आवेदनांकित खरीददार की उपस्थिति हेतु सम्मन का आपेक्ष दाखिल करें।**

वाद दिनांक– 20-08-2025 वास्ते प्रतिवादीगण एवं खरीददार की उपस्थिति हेतु सम्मन का आपेक्ष दाखिल करें।

अवर न्यायाधीश,

शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।